बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

–:: आदेश ::–

पटना–15, दिनांक..........................

निगरानी थाना कांड सं०–02/2015, दिनांक 20.12.2015 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री रविकान्त तिवारी, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–410/11, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, सारण (छपरा) के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित किये जाने संबंधी प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9945, दिनांक 19.07.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

विषयगत विभागीय कार्यवाही सम्प्रति प्रक्रियाधीन है तथा इसी बीच श्री तिवारी दिनांक 30.04.2018 को वार्ध्यक्य सेवानिवृत्त हो गये है।

अतएव विभागीय पत्रांक–1893, दिनांक 14.06.2011 द्वारा निर्गत निदेशों के आलोक में उक्त विभागीय कार्यवाही बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी०) के तहत स्वतः सम्परिवर्तित मानी जायेगी।

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30/4/18

(भीम प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–08/नि०था०–11–13/2015,सा०प्र०, 5619 **/पटना,** दिनांक 30-4-18

निबंधित
स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा)/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/श्री रविकान्त तिवारी, बि०प्र०से०, (कोटि क्रमांक–410/11) सम्प्रति निलंबित एवं मुख्यालय–प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14/ चारित्री कोषांग एवं आई॰टी॰ मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना, को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/4/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–08/नि०था०–11–13/2015,सा०प्र० 5619 **/पटना–15, दिनांक** 30-4-18

प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी॰डी॰ एवं दो हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

30/4/18

सरकार के संयुक्त सचिव।